न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/रसद/42/2020

राधा स्वयं सहायता समूह तलछेरा उचित मूल्य दुकानदार (30870) ग्राम पंचायत तलछेरा जरिये व्यवस्थापक सविता बाई राधा स्वयं सहायता समूल तलछेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर ।

......अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर।

.......रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दि0 05.12.2020 बावत निलम्बित करने प्राधिकार पत्र सरकार बनाम राधा स्वयं सहायता समूह तलछेरा अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम ।

निर्णय **दिनांक 19.01.2021**

अपीलाण्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 05.12.2020 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को निलम्बित करने की आज्ञा पारित की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहत पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न मिसिल है।

पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि वक्त जांच अपीलान्ट द्वारा मुख्य दुकान व अटैच दुकान दोनों का करीब 50 से 55 प्रतिशत सीडिंग कार्य पूर्ण किया जा चुका था। जो वर्तमान में 90 प्रतिशत के लगभग है। अपीलान्ट की मुख्य दुकान ग्राम केशरा पंचायत तलछेरा व अटैचमेन्ट की दुकान तलछेरा में है। अटैचमेन्ट की दुकान में दर्ज उपभोक्ता दो गांव तलछेरा व सैडोली में आते है। अपीलान्ट [illegible] ग्राम तलछेरा व सैडोली में उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए [illegible] किया जा रहा था। जिसकी सूचना ग्राम पंचायत तलछेरा को लिखित में दे रखी थी। अपीलान्ट [illegible]र्य की

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:06:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

अधिकता एवं एक बार में तीन–तीन दुकानों पर राशन वितरण में मदद के लिए संस्था के सहायक धीरज पुत्र रामबाबू को लगा रखा था। अपीलान्ट पर 30 क्विंटल गेहूँ कम होने का जो आरोप लगाया गया है, वह गलत है। अटैचमेन्ट दुकान पर भण्डारण व्यवस्था होने के कारण अपीलान्ट ने मुख्य दुकान के भण्डारण स्थल केशरा में ही समस्त राशन सामग्री को रखा हुआ था, इस बावत प्रवर्तन निरीक्षक को वक्त जांच बताया गया किन्तु उनके द्वारा कोई जांच नही की गई। अपीलान्ट द्वारा जांच में पूरा सहयोग किया गया है। अपीलान्ट के विरूद्व राशन वितरण के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं है। अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने योग्य है।

पैरोकार रसद द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि डीलर द्वारा अटैचमेन्ट दुकान का दो जगह से राशन वितरण करना कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। अपीलान्ट द्वारा सीडिंग कार्य सही ढंग से नही किया जा रहा है तथा जांच में भी कोई सहयोग नहीं दिया गया । ग्राम केशरा के भण्डारण की बावत अपीलान्ट द्वारा वक्त जांच कोई जानकारी नहीं दी गई एवं 30 क्विण्टल गेंहूँ कम मिला । वक्त निरीक्षण गोदाम नक्शा, स्टॉक प्रदर्शन आदि उपलब्ध नहीं पाया गया । डीलर द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। इस कारण अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है, जो उचित है। पैरोकार रसद ने अपनी बहस में अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की है ।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। अपीलान्ट के विरूद्व किसी भी उपभोक्ता की कोई शिकायत नहीं है। सीडिंग कार्य भी लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। अपीलान्ट द्वारा दो स्थानों से राशन वितरण किया गया, जिसकी सूचना ग्राम पंचायत को भी दी गई है। राशन वितरण के लिए संस्था के सहायक को रखना मात्र तकनीकी कमियां है, जिसके कारण प्राधिकार पत्र निलम्बित नहीं किया जा सकता है। 30 क्विंटल गेहूँ कम पाये जाने की बावत अपीलान्ट ने बताया कि उक्त गेंहूँ मुख्य दुकान केशरा के भण्डारण में रखा हुआ था, जिसे निलम्बन के बाद अटैचमेन्ट डीलर को सुपुर्द कर दिया गया। जिससे यह सिद्ध होता है कि अपीलान्ट द्वारा किसी भी प्रकार से राशन सामग्री का खुर्द–बुर्द नहीं किया गया है और न

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:06:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज०)

उसका दुरूपयोग किया गया है, किन्तु डीलर द्वारा भण्डारण स्थल/गोदाम का सक्षम प्राधिकारी से नक्शा प्रमाणीकरण नहीं कराया गया और न दुकान पर राशन सामग्री की बावत किसी प्रकार का प्रदर्शन किया जाना पाया गया। डीलर को चेतावनी दी जाती है कि वह भविष्य में स्टॉक व वस्तुओं की मूल्य सूची बोर्ड नियमित रूप से दुकान पर प्रदर्शित करें एवं प्राधिकार पत्र, प्रमाणित नक्शा, यूनिट रजिस्टर, खाद्य सुरक्षा सूची व आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक रजिस्टर आदि का रिकॉर्ड दुकान पर हमेशा उपलब्ध रखे और नियन्त्रित वस्तुओं का वितरण स्वयं के द्वारा ही किया जावे। डीलर द्वारा राशन सामग्री के वितरण में कोई अनियमितताऐं किया जाना नहीं पाया गया है। इस कारण अपीलाधीन आदेश समर्थन किये जाने योग्य नहीं रहता है। अस्तु अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य पाते हैं।

अतः आदेश है कि

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी भरतपुर का आदेश दिनांक 05.12.2020 निरस्त किया जाता हैं। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को भेजी जावे।

निर्णय आज दि0 19.01.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:06:27 IST
Reason: SelfAttested